दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

रा. रा. श्रीमान कमिशनर महोदय , राजस्व मण्डल इंदौर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3507

इस्लामुद्दीन पिता मुशी खा जाति मुसलमान
आयु 55 वर्ष धन्धा काश्तकारी निवासी ग्राम
सांभर तहसील व जिला धार (म.प्र.) -- अपीलान्ट

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29-08-2017 को प्रस्तुत।
613 29-08-2017
अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

1- श्रीमान सब-डिवीजनल ऑफिसर महोदय
धार (म.प्र.)

2- श्रीमान तहसीलदार महोदय, धार (म.प्र.)

3- पटवारी ग्राम सांबर तहसील धार
जिला धार (म.प्र.) -- रिस्पोन्डेट

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक

माननीय न्यायालय ,

अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का नं 85 ग्राम सांबर तहसील व जिला धार के द्वारा धारा 248 म.प्र. ले.रे.कोड 1959 के अंतर्गत प्रतिवेदन अतिक्रमण बाबद तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार महोदय द्वारा एक पक्षीय आदेश के द्वारा उनके प्रकरण कमांक 208-अ-68/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 15-00-2017 के द्वारा अपीलान्ट को 50,000/- रूपये अर्थ दण्ड का आदेश दिया जिसके खिलाफ श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 1/14-15-अ-68 मे पारित आदेश दिनांक 15-08-2017 के द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त कर अपीलान्ट को 15

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2017/3507

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-18	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । निगरानी मेमों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रकरण में आदेश पारित कर आवेदक पर रूपये 50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । आवेदक के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में आवेदक को 15 दिवस के लिये सिविल जेल भेजने का आदेश दिया गया । जिसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के यहॉ वर्तमान में लंबित है । अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न देने के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । दोनों न्यायालयों के आदेश आवेदक के विरूद्ध होने से स्पष्ट है कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है । आवेदक ने अपने निगरानी मेमों में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होकर उसके स्वत्व की है ऐसा कोई आधार नहीं लिया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा स्थगन न देने में कोई त्रुटिनहीं की गईहै । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	